Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- टोंक में सोनू पंवार कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोंक 13,000/– रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 07 मई 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय जयपुर, के निर्देश पर ए.सी.बी. टोंक इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी **सोनू पंवार हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोंक** को 13,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी ने मेडिकल स्टोर के लाईसेन्स हेतु आवेदन किया था। आरोपी सोनू पंवार हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण टोंक रिश्वत राशि मांग कर परिवादी को परेशान कर रहा था। दिनांक 07.05.2026 को वक्त मांग सत्यापन आरोपी सोनू द्वारा 15,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर 13,000/– रूपये रिश्वत की मांग तय की गई।

जिस पर एसीबी रेंज अजमेंर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में टी.एल.ओ. **श्री झाबर मल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक ने ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी सोनू पंवार आज परिवादी से 13,000/– रूपये रिश्वत राशि अपने कार्यालय में अपने हाथो में लेकर रिश्वति राशि गिनकर अपनी पहनी हुयी पेन्ट की जेब में रखी तथा ए.सी.बी. टीम को देखते ही राशि अपनी पेन्ट की जेब से निकाल कर अपने कार्यालय कक्ष के गेट के पास फर्श पर फेंक दी। जहाँ से रिश्वत राशि बरामद हुई। आरोपी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया ।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक पुलिस श्रीमति एस. परिमाला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा ।